भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3163

06 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

आंध्र प्रदेश में पीएमएवाई-यू के तहत मकानों का निर्माण

†3163. श्री जी. एम. हरीश बालयोगीः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आन्ध्र प्रदेश में विशेषकर कोनासीमा जिले में प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत स्वीकृत, निर्माण, पूर्ण और कब्जे वाले मकानों का ब्यौरा क्या है;
(ख) आन्ध्र प्रदेश में विशेष रूप से कोनासीमा जिले में पीएमएवाई-यू के प्रत्येक कार्यक्षेत्र के अंतर्गत शामिल अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी), अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) और महिला लाभार्थियों का ब्यौरा क्या है;
(ग) आन्ध्र प्रदेश में तृतीय पक्ष गुणवत्ता निगरानी एजेंसियों, जियो टैगिंग, निरीक्षण और अन्य निगरानी तंत्रों सहित पीएमएवाई-यू के अंतर्गत निर्मित मकानों के लिए गुणवत्ता आश्वासन तंत्र का ब्यौरा क्या है;
(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश में पीएमएवाई-यू के अंतर्गत सूचित की गई शिकायतों, कमियों, घटिया निर्माण और निर्धारित निर्माण मानकों के उल्लंघन का जिला-वार व्यौरा क्या है; और
(ङ) आन्ध्र प्रदेश में घटिया निर्माण अथवा पीएमएवाई-यू दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले ठेकेदारों, कार्यान्वयन एजेंसियों, इंजीनियरों और अन्य अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है जिनमें काली सूची में डाले गए, प्रतिबंधित किए गए या दंडित किए गए लोग भी शामिल हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) और (ख): आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत कुल 19.07 लाख आवासों को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनमें से 3.71 लाख आवासों का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। 15.36 लाख आवास ऐसे आवास हैं, जिनका निर्माण कार्य शुरू हो गया था, जिनमें से अब तक

11.38 लाख आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा 10.75 लाख आवासों का कब्जा दिया जा चुका है।

इसके अतिरिक्त, पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य में कुल 61,084 आवासों को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनमें से 43,947 आवासों का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। इनमें से 1,980 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है/आवास लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं।

इसी प्रकार, कोनासीमा जिले में पीएमएवाई-यू के अंतर्गत कुल 36,040 आवासों को स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वीकृत कुल आवासों में से 29,916 आवासों का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है तथा 23,225 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लाभार्थियों को सौंप दिया गया है।

आंध्र प्रदेश राज्य तथा कोनासीमा जिले में पीएमएवाई-यू योजना के प्रत्येक घटक के अंतर्गत अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी) तथा महिला लाभार्थियों के नाम पर स्वीकृत आवासों का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

(ग): पीएमएवाई-यू के अंतर्गत योजना के विभिन्न घटकों में निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र तृतीय पक्ष गुणवत्ता निगरानी एजेंसी (टीपीक्यूएमए) को नियुक्त करते हैं। इन एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत गुणवत्ता आश्वासन रिपोर्टों के आधार पर, राज्य तथा शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) योजना के अंतर्गत मानक गुणवत्ता वाले आवासों एवं अवसंरचना का निर्माण सुनिश्चित करने के लिए निवारक तथा सुधारात्मक दोनों प्रकार के उपाय करते हैं। इसके अतिरिक्त, निर्माण प्रगति की निगरानी आवासों की जियो-टैगिंग के माध्यम से की जाती है, जिसके अंतर्गत निर्माण के विभिन्न चरणों में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) निर्देशांकों तथा समय-मुद्रा (टाइम-स्टैम्प) सहित जियो-संदर्भित फोटोग्राफ लिए जाते हैं। यह प्रक्रिया निधियों के जारी किए जाने से भी संबद्ध है।

साथ ही, मंत्रालय तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर समीक्षा बैठकें तथा क्षेत्रीय दौरे किए जाते हैं, ताकि आंध्र प्रदेश सहित देश-भर में योजना का प्रभावी कार्यान्वयन, पारदर्शिता, जवाबदेही तथा गुणवत्तापूर्ण आवासों का समयबद्ध निर्माण सुनिश्चित किया जा सके।

(घ) और (ङ): पीएमएवाई-यू का कार्यान्वयन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर नामित नोडल एजेंसियों के माध्यम से किया जा रहा है। योजना के कार्यान्वयन से संबंधित शिकायतों का, यदि कोई हों, निवारण वर्तमान नियमों एवं विनियमों के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र तथा शहर स्तर पर उपलब्ध उपयुक्त शिकायत निवारण प्रणाली के माध्यम से किया जाता है तथा

आवश्यकतानुसार, मौजूदा कानून के अनुसार कार्रवाई भी की जाती है। इसके अतिरिक्त, पीएमएवाई सहित नागरिकों के लिए सेवा प्रदायगी से संबंधित किसी भी विषय के संबंध में शिकायत दर्ज कराने एवं उनके निवारण हेतु केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) भी उपलब्ध है। योजना के कार्यान्वयन के किसी भी पहलू से संबंधित आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय अथवा सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों/परिवादों को जांच तथा संबंधित व्यक्तियों पर उचित कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को भेज दिया जाता है।

चूंकि योजना का कार्यान्वयन राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनी नामित एजेंसियों के माध्यम से किया जा रहा है, इसलिए निम्नस्तरीय निर्माण अथवा पीएमएवाई-यू के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के लिए ठेकेदारों, कार्यान्वयन एजेंसियों, अभियंताओं अथवा अन्य अधिकारियों पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी लागू नियमों एवं विनियमों के अनुसार संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। तदनुसार, आंध्र प्रदेश सहित देश में ऐसी संस्थाओं अथवा पदाधिकारियों को काली सूची में डाले जाने, प्रतिबंधित किए जाने अथवा दंडात्मक कार्रवाई से संबंधित विशिष्ट सूचना मंत्रालय द्वारा नहीं रखी जाती है।

दिनांक 06.08.2026 को लोक सभा में पूछे जाने वाला अतारांकित प्रश्न संख्या 3163 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

आंध्र प्रदेश राज्य तथा कोनासीमा जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के प्रत्येक घटक के अंतर्गत अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी) तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए स्वीकृत आवासों के साथ-साथ महिला लाभार्थियों के नाम पर स्वीकृत आवासों का विवरण

क्र. सं.	विवरण		लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी)	साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी)	स्व-स्थाने स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर)	ऋण आधारित सब्सिडी योजना (सीएलएसएस)	उपलब्धियां
1	आंध्र प्रदेश	अनुमोदित/स्वीकृत	15,71,699	2,68,050	1,617	65,521	19,06,887
2		एससी	2,84,643	15,943	18	3,391	3,03,995
3		एसटी	57,210	3,202	-	883	61,295
4		ओबीसी	8,83,641	94,394	157	18,016	9,96,208
5		महिलाएं	14,94,785	1,46,585	97	52,282	16,93,749
1	कोनासीमा जिला	अनुमोदित/स्वीकृत	25,748	9,808	-	484	36,040
2		अनुसूचित जाति	5,537	692	-	26	6,255
3		एसटी	254	63	-	6	323
4		ओबीसी	12,931	4,600	-	87	17,618
5		महिलाएं	24,491	7,909	-	386	32,786